# न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

## बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

**वाद अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट वास्ते विभाजन व खातेदारी घोषणा**

**वाद संख्या :– 02/2021 (38/2017)**

| वादी | प्रतिवादी |
|---|---|
| सहदेव पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, निवासी फिड़ोद तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राज.। | 1. रामचन्द्र पुत्र नरसिंह कौम जाट निवासी फिड़ोद तहसील मूण्डवा जिला नागौर।<br>2. भंवराई पत्नी रामचन्द्र कौम जाट निवासी फिड़ोद तहसील मूण्डवा जिला नागौर।<br>3. श्रवणराम पुत्र रामचन्द्र कौम जाट निवासी फिड़ोद तहसील मूण्डवा जिला नागौर।<br>4. नेनी पत्नी श्रवणराम कौम जाट निवासी फिड़ोद तहसील मूण्डवा जिला नागौर।<br>5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा जिला नागौर। |

उपस्थिति 1. वादीगण की ओर से श्री डुंगरराम चौधरी, एडवोकेट।

2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री करण सिंह राठौड़, एडवोकेट।

**निर्णय** दिनांक :– **30.03.2021**

1– वादी ने निम्नलिखित वाद पेश किया–

1. यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 दोनों सगे भाई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता व माता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी है जिनका काम धंधा खेती, करसण करना खानदान सदा से ही है और जिनका संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है।
2. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की सहदायिकी सहकब्जे काश्त सहखातेदारी शामलाती पैतृक भूमियां हाल खसरा नं. 705 रकबा 16–09 बीघा खसरा नम्बर 801 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 822 रकबा 31–17 बीघा वाके सरहद मौजा फिड़ोद रहते चले आये है तथा इनके अलावा पक्षकारान के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी के शामलाती के खेत खसरा नं. 616 रकबा 25–13 बीघा व खसरा नं. 636 रकबा 18–16 बीघा एवं खेत हाल खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा मौजा फिड़ोद तहसील मूण्डवा में रहते चले आये है।
3. यह है कि, उपरोक्त वादग्रस्त पैतृक भूमियां कम होने से वादग्रस्त खेत हाल खसरा नं. 616 रकबा 25–13 बीघा व खेत हाल खसरा नं. 636 रकबा 18–10 बीघा मौजा फिड़ोद में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने पुश्तैनी भूमि से संयुक्त परिवार की होने वाली आमदनी व संयुक्त परिवार की संयुक्त

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

कमाई से संयुक्त परिवार के वक्त संयुक्त परिवार के लिए खरीद किया गया तथा रजिस्ट्री करवाते वक्त सुविधा से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से करवा दी। जबकी इन खेतों का प्रतिफल बेचानकर्ता को संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी भूमि व संयुक्त परिवार की संयुक्त कमाई से होने वाली आमदनी से चुकाया था तथा इसी प्रकार से खेत मौजा फिड़ौद के हाल खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा भूमि भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने पुश्तैनी भूमि से संयुक्त परिवार की होने वाली संयुक्त आमदनी से खरीद की तथा रजिस्ट्री करवाते वक्त सुविधा से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम करवा दी। जबकि इस खेत का प्रतिफल बेचानकर्ता को संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमियों की संयुक्त कमाई से होने वाली आमदनी से चुकाया था और उक्त खरीदे गये वादग्रस्त खेतों को वादग्रस्त पुश्तैनी खेतों के शामिल मिलाकर शामलाती में काश्त करसण करना शुरू कर दिया। जिससे इन भूमियों का स्वरूप भी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमियों का हुआ और रहता चला आया है।

4. यह है कि, पक्षकारान ने वादग्रस्त भूमियों का संवत हाल में खेत खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से संयुक्त परिवार के लिए खरीदने के पश्चात अलग अलग हो गये तथा आपसी सहमति से भौतिक रूप से फाईनल बंटवाड़ा उक्त भूमियों का पक्षकारान ने निम्न स्कीम अनुसार कर लिया–

**क)** कि मौजा फिड़ोद तहसील मूण्डवा के खेत हाल खसरा नं. 822 रकबा 31–17 बीघा पुरा तथा खेत हाल खसरा नं. 616 रकबा 25–13 बीघा में से रकबा 12–17 बीघा अगुणा भाग कुल रकबा 44–13 बीघा वादी के एक मात्र बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया, जिस पर वादी काबिज है।

**ख)** कि मौजा फिड़ौद के खेत हाल खसरा नं. 705 रकबा 16–09 बीघा पूरा प्रतिवादी संख्या 1 के एक मात्र बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है।

**ग)** कि मौजा फिड़ोद के खेत हाल खसरा नम्बर 616 रकबा 25–13 बीघा में से रकबा 12–17 बीघा आथूणा भाग प्रतिवादी संख्या 2 के एक मात्र बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया।

**घ)** कि मौजा फिड़ौद के खेत हाल खसरा नं. 636 रकबा 18–16 बीघा पूरा व खसरा नं. 801 रकबा 8 बीघा पूरा तथा खेत खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा पूरा प्रतिवादी संख्या 3 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा जो तुरन्त प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने नाम करवाये जाने का जोर देने से खसरा नं. 801 की रजिस्ट्री बक्सीशनामा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम करवा दी जिससे यह खेत प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार से मौजा फिड़ोद के खेत खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 से खरीद किया होने से उसकी

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

खातेदारी में दर्ज है और उसी के बंट में रखा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रतिवादी संख्या 3 के 48–17 बीघा भूमि बंट में रखी गयी है।

2 – वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तरफ से वकील श्री करण सिंह राठौड़ ने दिनांक 04.01.2019 को वकालातनामा मय राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया व प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं होने से दिनांक 04.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

3 – दिनांक 04.01.2019 को वादी सहदेव पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी फिड़ोद व प्रतिवादीगण रामचन्द्र पुत्र नरसिंह, भंवराई पत्नी रामचन्द्र, श्रवणराम पुत्र रामचन्द्र, नेनी पत्नी श्रवणराम कौम तमाम जाट निवासीगण फिड़ोद तहसील मूण्डवा जिला नागौर वादग्रस्त खेताय के संबंध में निम्न राजीनामा करते है कि–

1. यह है कि पक्षकारान अपनी उक्त वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं. 705 रकबा 16–09 बिस्वा, खसरा नं. 801 रकबा 8 बीघा, खसरा नं. 822 रकबा 31–17 बीघा वाके सरहद मौजा फिड़ोद रहते चले आये है तथा इनके अलावा पक्षकारान के सहकब्जे काश्त सहखातेदारी के शामलाती के खेत खसरा नं. 616 रकबा 25–13 बीघा व खसरा नं. 636 रकबा 18–16 बीघा एवं खेत हाल खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा मौजा फिड़ोद तहसील मूण्डवा के संबंध में राजीनामा निम्न अनुसार किया है–

**क)** कि मौजा फिड़ोद तहसील मूण्डवा के खेत हाल खसरा नं. 822 रकबा 31–17 बीघा पुरा तथा खेत हाल खसरा नं. 616 रकबा 25–13 बीघा में से रकबा 12–16 बीघा अगुणा भाग कुल रकबा 44–13 बीघा वादी के एक मात्र बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया, जिस पर वादी काबिज है।

**ख)** कि मौजा फिड़ोद के खेत हाल खसरा नं. 705 रकबा 16–09 बीघा पूरा प्रतिवादी संख्या 1 के एक मात्र बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है।

**ग)** कि मौजा फिड़ोद के खेत हाल खसरा नम्बर 616 रकबा 25–13 बीघा में से रकबा 12–17 बीघा आथूणा भाग प्रतिवादी संख्या 2 के एक मात्र बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया।

**घ)** कि मौजा फिड़ोद के खेत हाल खसरा नं. 636 रकबा 18–16 बीघा पूरा व खसरा नं. 801 रकबा 8 बीघा पूरा प्रतिवादी संख्या 3 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा जो तुरन्त प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने नाम करवाये जाने का जोर देने से खसरा नं. 801 की रजिस्ट्री बक्सीशनामा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम करवा दी जिससे यह खेत प्रतिवादी सख्या 3 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार से मौजा फिड़ोद के खेत खसरा नं. 800 रकबा 22–01 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

खरीद किया होने से उसकी खातेदारी में दर्ज है और उसी के बंट में रखा गया है।

2. यह है कि खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि माफिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावे।

4 — दिनांक 21.01.2019 गवाह सहदेव पुत्र रामचन्द्र एवं दिनांक 30.01.2019 रामचन्द्र पुत्र नरसिंह के बयान कलमबद्ध करवाये गये जिसमें राजीनामा अनुसार दावा डिक्री करवाना चाहते है।

5 — अतः पक्षकारों के मध्य राजीनामा अनुसार वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैं—

1. ग्राम फिड़ोद तहसील मूण्डवा के खेत हाल खसरा नं. 822 रकबा 31—17 बीघा सम्पूर्ण एवं खेत हाल खसरा नं. 616 रकबा 25—13 बीघा में से रकबा 12—16 बीघा अगुणा भाग कुल रकबा 44—13 बीघा वादी के खातेदारी का घोषित किया जाता है।
2. ग्राम फिड़ोद के खेत हाल खसरा नं. 705 रकबा 16—09 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी का घोषित किया जाता है।
3. ग्राम फिड़ोद के खेत हाल खसरा नम्बर 616 रकबा 25—13 बीघा में से रकबा 12—17 बीघा आथूणा भाग प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी का घोषित किया जाता है।
4. ग्राम फिड़ोद के खेत हाल खसरा नं. 636 रकबा 18—16 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नं. 801 रकबा 8 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा जो तुरन्त प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने नाम करवाये जाने का जोर देने से खसरा नं. 801 की रजिस्ट्री बक्सीशनामा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम करवा दी जिससे यह खेत प्रतिवादी सख्या 3 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार से मौजा फिड़ोद के खेत खसरा नं. 800 रकबा 22—01 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से खरीद किया होने से उसकी खातेदारी में दर्ज है और उसी के बंट में रखा गया है।

इसी अनुसार डिक्री पर्चा एवं रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार मूण्डवा को तेहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर